

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांक:- 1073/ 33-1 ,दिनांक, महोबा, सितम्बर 20, 2022

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड सिविल, उ०प्र०  
जल निगम. (ग्रामीण) महोबा।

विषय:- उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्वा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा का पत्रांक-928/33-1, दिनांक 19.09.2022

आपके द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, जिसमें आप द्वारा भारत सरकार से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण 09 बिन्दुओं की आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गयी, उक्त आख्या कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा को प्रेषित किया गया, जिसमें महोदय, द्वारा स्पष्ट आख्या चाहीं गयी हैं जो निम्न प्रकार है:-

Cond. No.	Conditions	Status of Compliances
1	As per the .kml file of the forest area proposed for diversion, some parts of the MDR-15B road and Hamirpur highway (Toposheet no.G44N14 & G4403) are demarcated as Forest land as well as Non-Forest land, this needs clarification/rectification.	PF की नोटिफिकेशन संलग्न करते हुए स्थिति स्पष्ट करें।
2	NFL proposed for CA is Janglat Gram Samaj land. If it is recorded as 'Janglat' then provisions of FCA are applicable on this land. Hence, non forest land not recorded as forest in any government record, needs to be provided for CA. This NFL should be contiguous to Forest land.	बिम्बित NFL FCL से अच्छादित है या नहीं स्पष्ट करें।
3	Revised CA scheme and related documents needs to be provided and shall be uploaded on PARIVESH portal for double the area proposed for diversion in respect of 12.4869 ha. Protected Forest.	स्पष्ट आख्या संलग्न करें।
4	No. of tree felling proposed as per part-II of the proposal is 375, however, as per LSC of concerned DFO, 133 trees to be felled is shown. This needs clarification.	स्पष्ट आख्या संलग्न करें।
5	Alignment of area proposed for diversion on RoW needs to be clarified.	स्पष्ट Alignment आख्या संलग्न करें।
6	All NOCs from concerned departments (NHAI/PWD, Irrigation, Road, Canal, etc.) needs to be submitted.	स्पष्ट आख्या संलग्न करें।
7	Component wise breakup of entire land needs to be submitted.	स्पष्ट breakup संलग्न करें।
8	Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in kml file.	स्पष्ट Complete Plan संलग्न करें।
9	An undertaking needs to be submitted by the User agency stating that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project and that no subsequent proposal shall be initiated for the same purpose involving the same area.	स्पष्ट Undertaking संलग्न करें।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में चाहीं गयी आख्या शीघ्र उपलब्ध करायें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

(संजय कुमार मल्ल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या 1073 /अ/सम दिनांक।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या 1073 /ब/सम दिनांक।

प्रतिलिपि- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
महोबा वन प्रभाग, महोबा।